बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 251/ग्रा0 पटना, दिनांक 08.08.14

ग्रा0वि0- 8 (था)44/2013

प्रेषक,

एस. एम. राजू,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः– **मनरेगा अंतर्गत निर्गत जॉब कार्ड के सत्यापन (Verificaiton) एवं MIS इसके अद्‌यतीकरण (Updation) करने के संबंध में ।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक– 104071 दिनांक– 14.05.2012 ।**

महाशय,

मनरेगा अधिनियम के अनुसूची 2 के कंडिका 3 में प्रत्येक 5 साल पर जॉब कार्ड के नवनीकरण का प्रावधान किया गया है । नवनीकरण के पूर्व जॉब कार्ड का सत्यापन का प्रावधान भी किया गया है । आप अवगत है कि राज्य में कुल 13064205 जॉब कार्डधारी मनरेगा MIS पर निबंधित है जिनमें से 7229799 जॉब कार्ड का उपयोग में नहीं है। MIS के अवलोकन से तथा मनरेगा योजना की जॉच के दौरान स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में कतिपय जॉब कार्डधारियों **छद्म** पाये जाने के **दृष्टांत** आते आते रहे है । राज्य में अभी कुल 863482 ऐजे जॉब कार्ड प्रदर्शित हो रहे हैं जिनके नाम समान है परंतु उनकी job Card संख्या भिन्न है, जिससे इनके डुप्लिकेट होने की संभावना प्रबल है । इस कम में सभी जॉब कार्ड धारियों का सत्यापन कर जॉब कार्ड नवनीकरण का निर्णय लिया गया है।

I. **<u>जॉब कार्ड सत्यापन के दौरान निम्न प्रकिया अपनाई जायः–</u>**

1. मनरेगा के MIS से सभी जॉब कार्डधारियों की सदस्यों की सूची ग्राम पंचायत के Reporting section के Registration register से सूची MS Excel फार्मेट में डाउनलोड कर ली जाय । जॉब कार्डधारियों की इस सूची के आधार पर पत्र के साथ संलग्न फार्मेट (Annexure- 1)के अनुसार सभी जॉब कार्डधारियों परिवारों का सत्यापन किया जायेगा । उक्त सूचियों कों प्रखंडवार एवं पंचायतवार विखंडित कर लिया जाय। इसके उपरांत इनका भौतिक रूप से सत्यापन (Verificaiton) कराया जाय ।
2. भौतिक सत्यापन के दौरान जॉब कार्डधारी परिवारों के Bank/Post office का नाम उसकी शाखा का FSC Code तथा जॉब कार्डधारी का मोबाईल नं0 की विवरणी, उनके श्रेणी यथा (SC/ST/OBC/other), अल्पसंख्यक, BPL परिवार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड संख्या, आम आदमी बीमा, योजना लुध एवं सीमांत किसान संबंधी विवरणी भी अवश्य प्राप्त की जाय । बैंक के KYC को भी सत्यापन का आधार बनाया जा सकता है। इन सूचनाओं के संग्रहण के लिए पत्र

के साथ संलग्न प्रपत्र (Annexure- 2) में MIS के संबंधित moduel के अनुसार निर्मित फार्मेट में सूचनाओं की इंट्री की जाय ।

3. सत्यापन कार्य के समुचित पर्यवेक्षण की व्यवस्था प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के देख–रेख किया जाय ।
4. जिन जॉब कार्डधारियों ने मनरेगा में कभी काम नहीं किया है उनसे यह जरूर पूछा जाय कि वे मनरेगा में काम करने का इच्छुक हैं अथवा नहीं ? अगर उनके द्वारा मनेरगा में काम करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है तो संलग्न प्रपत्र (Annexure- 3) में उनके जॉब कार्ड निरस्त करने की सहमति प्राप्त कर ली जाय । **महादलित परिवारों के मामले में यह लागू नहीं होगा।**
5 इसके उपरांत तैयार सूची के अनुसार MIS पर जॉब कार्ड संबंधी सूचनाओं का अद्यतन किया जाय।

II. Verificaiton एवं Updation कराने के लिए निम्नलिखित प्रावधान है :–

1. job Card Verification:-

ग्राम पंचायतवार योजनाओं को भौतिक रूप सत्यापति कराने के बाद PO Login के माध्यम से जॉब कार्ड Verificaiton Module का उपयोग किया जाए । इस Module के द्वारा जॉब कार्ड Verificaiton करने के कम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सही जॉब कार्ड को correct तथा गलत जॉब कार्ड का incorrect किया जाए ।

2. भौतिक रूप से सत्यापित जॉब कार्ड का Verificaiton, MIS पर कार्यक्रम पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत रोजगार सेवक की उपस्थिति में कराया जाए । MIS पर जॉब कार्ड सत्यापन कराने के पश्चात nrega.nic.in पर संबंधित जिले के web page पर Alert (More) में "job card with different number and same haead of house hold name" से पंचायतवार Print out लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उसकी सत्यापित प्रति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को उपलब्ध कराया जाय ।
3. Applicant Account updation and Freezing:- PO Login निम्न Module के माध्यम से जॉब कार्ड धारियों के Account detail को अपेडट कराया जायः–

i. जॉब कार्डधारी परिवार के सदस्यों का खातों Post office से Bank में परिवर्रित होने पर Change Post office Account to commercial/RRB Bank option का इस्तेमाल किया जाय।

ii. जॉब कार्डधारी परिवार के सदस्यों का खाता Post office/Bank में होने पर PO Login में efms option के Update Applicant's Account details as per downloaded format का इस्तेमाल किया जाय ।

iii. Account updation के उपरांत efms option के verify and Freeze option में जाकर खातों का Freezeकिया जाय ।

4. **Update Category/BPL Status:-**

PO Login निम्न Module के माध्यम से जॉब कार्ड धारियों की श्रेणी (SC/ST/OBC/other), अल्पसंख्यक, BPL परिवार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड संख्या, आम आदमी बीमा, योजना लधु एवं सीमांत किसान तथा पारिवारिक सर्वेक्षण कमांक से संबंधित विवरण की प्रविष्टि एवं updation का प्रावधान है ।

5. **Add applicants UID No. (Aadhaar No.) (आधार न0 की प्रविष्टि):-**

सभी जॉब कार्डधारियों के विशिष्ट पहचान संख्या यथा उनकी आधार संख्या, आधार पंजीकरण संख्या (Enrollment no) की प्रविष्टि भी की जानी है । इस Module में जॉब कार्डधारियों के आधार नम्बर/आधार पंजीकरण नम्बर (यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है) की Entry करायी जाय । उपर्युक्त प्रकिया के द्वारा राज्य में प्रदर्शित Duplicate job card की सत्यापन MIS पर कराया जा सकता है इस प्रकिया के उपरोक्त Work allocation में केवल वही job card प्रदर्शित होंगे जिन्हें MIS सत्यापित किया गया है ।

6. **Deletion of Job Cards:-**

MIS पर job Card delete करने का प्रावधान delete applicant/change Head of Household in case of Death module में है जिसमें मृत्यु होने पर, काम करने की अनिच्छा, नये परिवार का सदस्य तथा MIS में गलत प्रविष्टि हो **जाने** पर व्यक्ति/परिवार को delete किया जा सकता है। वैसे जॉब कार्डधारी परिवार जो मनरेगा में कार्य करने को इच्छुक नहीं हैं उनसे लिखित रूप में सहमति प्राप्त कर ही जॉब कार्ड delete किये जाएंगे ।

जॉब कार्ड का सत्यापन (Verificaiton) एवं अद्यतीकरण (Updation) का कार्य एक कालबद्ध येाजना तैयार कर श्रम बजट के निर्माण के दौरान किये जाने वाले बेस लाईन सर्वे के साथ किया जायेगा । यह कार्य सभी जिलों में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक कराते हुए MIS पर भी update कराया जाय। बेस लाईन सर्वे तथा जॉब कार्ड Verificaiton घर–घर जाकर कराने की जवाबदेही संबंधित पंचायत रोजगार की होगी तथा इसका पर्यवेक्षण प्रखंड स्तर पर प्रतिदिन के आधार पर कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा । जिला स्तर पर इस कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निदेशक (जि0ग्रा0वि0अभि0) के नेतृत्व में एक कोषांक का गठन कर लिया जाय जिसमें सदस्य के रूप में दो कार्यक्रम पदाधिकारी, MIS पदाधिकारी एवं तकनीकि विशेषज्ञ होंगे ।

अन0– यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एस. एम. राजू)
सचिव 7/8/14

पत्रांक 251/स0 पटना, दिनांक 08.08.14

प्रतिलिपिः– सभी उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 7/8/14

AMS OSD Letter- 420

Application for New Job Card

(Annexure-1)

Block:	District	
Title	**Information As per MIS**	**Information as per Verification**
Job card No.:	BH-51-004-005-03714000/1063	
Name of Head of Household:	PRATIMA DEVI	
Father/Husband Name		
Category:	SC/ST/EBC/OBC/Others	
Type of HH	IAY/LR Beneficiary/SF/MF/Minority/Others	
Date of Registration:	10-11-2011	
Date of Renewal		
Date of Verification		
Family-Id:	1063	
Ward No.		
Village:	SARAIYA	
Panchayat:	BARA	
Block:	KURTHA	
District:	ARWAL(BIHAR)	
SECC Family ID		
Whether BPL Family:(Y/N)		Family-Id:
Epic No.:		

S.No	Name of Adult member of Family willing to Work under MGNREGA	Relationship with head of the family.	Age as on 01/04/2014	Status of Disability	Account No.	Bank/PostOffice	Branch/PO Name	IFSC Code/Sanchay Code	Aadhaar No	Eshakti Card Number
As Per Applicant	pratima devi		28						****	
As Per Verification By PRS										
AS per MIS	sandip kumar		31						****	
AS Per Verification										
As Per MIS										
As Per Verification										
As Per MIS										
As Per Verification										
As Per MIS										
As Per Verification										
As Per MIS										
As Per Verification										

Details of New Member If Any		
Signature/Thumb Impression of the Head/Any Adult member of the Family		Name of Verifying Authority
Acknowledgement Slip		**Signature**

प्रपत्र- 2

(Annexure- 2)

बी0 पी0 एल0 परिवार/श्रेणी/AABY/RSBY का MIS पर अद्यतीकरण

1. परिवार के मुखिया का नाम------------------------------
2. जॉब कार्ड निबंधन संख्या--------------------------
3. श्रेणी अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य--------------------------
4. क्या परिवार अल्पसंख्यक है ? (हॉ/नहीं) -----------

   अगर हॉ तो घर्म -----------
5. क्या परिवार बी0पी0एल ? (हॉ/नहीं) -----------

   अगर हो तो बी0पी0एल0 परिवार संख्या -----------
6. क्यार परिवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभार्थी है ? (हॉ/नहीं) -----------

   अगर हॉ तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) का कार्ड संख्या -----------
7. क्या परिवार आम आदमी बीमा योजना (AABY) का लाभार्थी है ? (हॉ/नहीं) -----------

   अगर हॉ तो आम आदमी बीमा योजना (AABY) का बीमा संख्या -----------
8. क्या परिवार लघु किसान है ? (हॉ/नहीं) -----------
9. क्या परिवार सीमांत किसान है ? (हॉ/नहीं) -----------
10. पारिवारिक सर्वेक्षण संख्या (BPL Census 2002) के अनुसार -----------

प्रपत्र - 3

(Annexure- 3)

<u>जॉब कार्ड निरस्त करने के संबंध में सहमति पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मैं----------------------- पिता का नाम ----------------------------- ग्राम------------ग्राम पंचायत ----------------- प्रखंड----------------- जिला----------------- का स्थायी निवासी हूँ तथा मेरा जॉब कार्ड निबंधन संख्या ---है मनरेगा योजनान्तर्गत में कार्य करने का इच्छुक नहीं हुँ ।

अत: अनुरोध है कि मेरा जॉब कार्ड भौतिक रूप से रद्द करते हुए MIS पर भी इसे निरस्त (Delete) किया जाय/उपरोक्त सारी बातें मुझे पढ़कर सुनायी गयी है तथा मैंनें सारी बातें समझ कर हस्ताक्षर/अँगुठा का निशान लगाया है ।

हस्ताक्षर/अँगुठा का निशान

<u>दो गवाहों का हस्ताक्षर जॉब कार्ड निबंधन संख्या के साथ</u>

1. नाम ------------------------

   जॉब कार्ड निबंधन संख्या -------------

2. नाम ------------------------

   जॉब कार्ड निबंधन संख्या -------------